न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00477

इश्हाक मोहम्मद आत्मज अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मालचन्द उर्फ बालचन्द आत्मज अमर लाल जाति मेघवाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 1135 की रकबा 0.01 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का पिछले 15 वर्षों से लगातार बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है । अप्रार्थी

क्रम 01 का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी वह उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.01 हैक्टर से बेदख़ल नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपने निर्णय दिनांक 02.12.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.12.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 15 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । प्रार्थी को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया जा रहे हैं । अप्रार्थी क्रम 01 वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में खसरा नम्बर 1135 की रकबा 0.01 हैक्टर आराजी वादग्रस्त है । मौके पर आम रास्ते से लगवा 8–10 फिट चौडी जमीन है उसके पास एक नाला है और उसके बाद रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की आराजी है । खसरा नम्बर 1135 की आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है वहॉ पर एक बॉडी बना रखी है जिसके लिए धारा 91 एल0आर0 एक्ट के नोटिस अपीलान्ट को दिये जाते हैं । रेस्पोडेन्ट ने नाले को अवरूद्ध कर दिया है और अपीलान्ट को इस आराजी से हटाना चाहते हैं । रेस्पोडेन्ट को इस अराजी से अपीलान्ट को हटाने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जा सकती है न कि रेस्पोडेन्ट द्वारा । फिर भी परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी है जिसके बाबत् अपीलान्ट को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है । प्रार्थना पत्र के साथ धारा 91 एल0आर0 एक्ट के नोटिस की प्रतियॉ संलग्न की गई हैं जिसके अनुसार अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1135 पर अतिक्रमण के लिए नोटिस दिये गये हैं । वादग्रस्त आराजी संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी के अनुसार सरकार के खाते में पगडण्डी एवं रास्ते के रूप में दर्ज है । सरकारी आराजी के बाबत् अपीलान्ट को दावा लाने एवे उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं है । सरकारी आराजी पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा